"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसढ़/ दुर्ग/ 09/2013-2015"

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 514]　　नवा रायपुर, गुरूवार, दिनांक 10 सितम्बर 2026 - भाद्र 19,शक 1948

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 10 सितम्बर 2026

अधिसूचना

ESTB/10098/2025-HOME SECTION.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक व्दारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्व्दारा, छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक बल (अनुसचिवीय) तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा में भर्ती एवं पदोन्नति के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ –

(1) ये नियम छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक बल (अनुसचिवीय) तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी (अराजपत्रित) सेवा, भर्ती एवं पदोन्नति नियम, 2026 कहलायेंगे।

(2) ये नियम छत्तीसगढ़ **'राजपत्र'** में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

(3) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा।

(4) पुलिस विभाग द्वारा भर्ती की स्थिति में इस नियम के समस्त प्रावधान लागू होंगे। छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा भर्ती की स्थिति में, इस नियम से असंगति की सीमा तक छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल के प्रावधान लागू होंगे।

2. परिभाषाएं – इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) सेवा के संबंध में **''नियुक्ति प्राधिकारी''** से अभिप्रेत है, अनुसूची–एक के कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट सशक्त प्राधिकारी;

(ख) **''विभागीय पदोन्नति समिति''** से अभिप्रेत है, अनुसूची–चार के कॉलम (6) में यथा विनिर्दिष्ट समिति;

(ग) **''परीक्षा''** से अभिप्रेत है, नियम 11 के अधीन भर्ती के लिए ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा ;

(घ) **''भर्ती चरण''** से अभिप्रेत है, 1. लिखित परीक्षा, 2. शारीरिक मापतौल

(ङ.) **''शासन''** से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ शासन ;

(च) **''राज्यपाल''** से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ;

(छ) **''अन्य पिछड़ा वर्ग''** से अभिप्रेत है, राज्य शासन व्दारा, समय–समय पर यथासंशोधित अधिसूचना क्र. एफ 8–5–पच्चीस–4–84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 व्दारा यथा–विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग (गैर–क्रिमीलेयर);

(ज) **''भूतपूर्व सैनिक''** से अभिप्रेत है:– ऐसे व्यक्ति, जिन्हें छत्तीसगढ़ भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम, 1985 के अनुसार समय–समय पर विनिर्दिष्ट किया गया हो:

(झ) **''अनुसूची''** से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(ञ) **''अनुसूचित जाति''** से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा–विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;

(ट) **''अनुसूचित जनजाति''** से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद–342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा–विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति ;

(ठ) **''राज्य''** से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य;

(ड) **''सेवा''** से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक बल (अनुसचिवीय) तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत आने वाले आरक्षक–अ, प्रधान आरक्षक–अ, सहायक उप निरीक्षक–अ, उप निरीक्षक–अ, निरीक्षक–अ, उप निरीक्षक–अ(शीघ्रलेखक), निरीक्षक–अ(शीघ्रलेखक), सहायक ग्रंथपाल, ग्रंथपाल, डाटा एण्ट्री ऑपरेटर, सहायक प्रोग्रामर/निरीक्षक–अ एवं समय–समय पर शासन द्वारा स्वीकृत अन्य समकक्ष पद शामिल है;

(ढ) **''चयन समिति''** से अभिप्रेत है, इन नियमों के अधीन अनुसूची–तीन के कॉलम (7) एवं अनुसूची–चार के कॉलम (5) में यथा निर्दिष्ट विभागीय चयन/पदोन्नति समिति;

(ण) **''शासन''** से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ शासन:

(त) **''विभाग''** से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग

3. **विस्तार तथा लागू होना :–** छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।

4. **सेवा का गठन –** सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति समाविष्ट होंगे, अर्थात :–

(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारम्भ होने के समय, अनुसूची–एक में यथा–विनिर्दिष्ट पदों को मूल रूप से धारण कर रहे हों

(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारम्भ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों; और

(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये हों;

5. **वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि –**

(1) सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पद तथा उससे संलग्न वेतनमान अनुसूची–एक में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होंगे;

परन्तु शासन, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में, समय–समय पर, या तो स्थाई या अस्थाई तौर पर, वृद्धि या कमी कर सकेगी.

(2) निरीक्षक(अ), उप निरीक्षक(अ), सहायक उप निरीक्षक (अ), डाटा एण्ट्री ऑपरेटर एवं सहायक प्रोग्रामर (निरीक्षक–अ) के निम्नानुसार पृथक–पृथक संवर्ग होंगे :–

(अ) पुलिस मुख्यालय सामान्य शाखा संवर्ग
(ब) पुलिस मुख्यालय अपराध अनुसंधान शाखा संवर्ग
(स) पुलिस मुख्यालय गुप्तवार्ता शाखा संवर्ग
(द) जिला/इकाई संवर्ग
(इ) शासन द्वारा समय–समय पर स्वीकृत अन्य संवर्ग।

(3) निरीक्षक–अ(शीघ्रलेखक), एवं उप निरीक्षक–अ(शीघ्रलेखक) के निम्नानुसार पृथक–पृथक संवर्ग होंगेः–

(अ) पुलिस मुख्यालय सामान्य शाखा, अपराध अनुसंधान शाखा एवं जिला/इकाई संवर्ग
(ब) गुप्तवार्ता शाखा संवर्ग

(4) प्रधान आरक्षक–अ एवं आरक्षक–अ के इकाईवार संवर्ग होंगे।

(5) समस्त रेंज पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस उप महानिरीक्षक कार्यालय के अनुसचिवीय बल सामान्य शाखा संवर्ग के होंगे।

(6) सभी संवर्गो की पृथक–पृथक वरिष्ठता सूची जारी की जावेगी।

(7) पुलिस मुख्यालय सामान्य शाखा, अपराध अनुसंधान शाखा, जिला/इकाई संवर्ग के उपनिरीक्षक–अ (शीघ्रलेखक) के पद पर सीधी भर्ती हेतु रोस्टर का संधारण सामान्य शाखा, पुलिस मुख्यालय व्दारा किया जावेगा तथा गुप्तवार्ता शाखा संवर्ग के उपनिरीक्षक–अ (शीघ्रलेखक) के पद पर सीधी भर्ती हेतु रोस्टर का संधारण विशेष शाखा, पुलिस मुख्यालय व्दारा किया जावेगा।

(8) पुलिस मुख्यालय सामान्य शाखा संवर्ग के सहायक उपनिरीक्षक–अ पद पर सीधी भर्ती हेतु रोस्टर का संधारण सामान्य शाखा, पुलिस मुख्यालय व्दारा, पुलिस मुख्यालय अपराध अनुसंधान शाखा संवर्ग के सहायक उपनिरीक्षक–अ पद पर सीधी भर्ती हेतु रोस्टर का संधारण, अअवि, पुलिस मुख्यालय व्दारा, पुलिस मुख्यालय गुप्तवार्ता शाखा संवर्ग के सहायक उपनिरीक्षक–अ पद पर सीधी भर्ती हेतु रोस्टर का विशेष शाखा, पुलिस मुख्यालय व्दारा तथा जिला/इकाई संवर्ग के सहायक उपनिरीक्षक–अ पद पर सीधी भर्ती हेतु रोस्टर का संधारण संबंधित जिला/इकाई व्दारा किया जावेगा।

(9) शासन द्वारा समय–समय पर स्वीकृत अन्य संवर्ग के भर्ती, रोस्टर संधारण, वरिष्ठता सूची एवं पदोन्नति की कार्यवाही की विधि पुलिस महानिदेशक व्दारा निर्धारित की जाएगी।

(10) एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग में सामान्यतः स्थानांतरण/संविलियन नहीं किये जायेंगे, यदि किसी विशिष्ट कारण से कोई स्थानांतरण/संविलियन किया जाता है, तो उसमें संबंधित कर्मचारी की लिखित स्पष्ट सहमति प्राप्त की जावे कि वह अपनी पूर्व की वरिष्ठता त्याग करेगा और इसके लिए एक विशेष अभ्यावेदन के स्वीकृत होने पर उसे स्थानांतरण/संविलियन आदेश की तारीख से संबंधित संवर्ग की वरिष्ठता सूची में नीचे स्थान पर रखा जायेगा।

6. भर्ती का तरीका –

(1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में भर्ती, निम्नलिखित तरीकों से की जायेगी, अर्थात्ः–

(क) प्रतियोगी परीक्षा/चयन के माध्यम से सीधी भर्ती व्दारा;

(ख) सेवा के सदस्यों की पदोन्नति व्दारा, और

(ग) ऐसी सेवाओं में ऐसे पदों को मौलिक/स्थानापन्न रूप से धारण करने वाले व्यक्तियों के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति व्दारा जो इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाये।

(घ) उपनियम (1)(क) के अधीन की जाने वाली सीधी भर्ती के समस्त चरण अथवा कोई चरण विभाग द्वारा विभागीय चयन समिति के माध्यम से अथवा छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल अथवा अधिकृत एजेंसी में से किसी एक अथवा एक से अधिक विभाग/मण्डल/एजेंसी के संयुक्त माध्यम से की जायेगी।

(2) एक से अधिक इकाईयों हेतु भर्ती के सभी अथवा कुछ चरण एक साथ आयोजित किये जा सकेंगे। ऐसी स्थिति में अभ्यर्थियों से भर्ती प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर इकाई/पद (अथवा दोनों) के लिए विकल्प/प्राथमिकता क्रम अथवा दोनों निर्धारित प्रारूप में प्राप्त किये जा सकेंगे। यदि भर्ती विज्ञापन/प्रकिया में ऐसा विकल्प अपेक्षित किया गया हो, तो अभ्यर्थी द्वारा विकल्प/प्राथमिकता क्रम उपलब्ध नहीं कराने पर अभ्यर्थिता स्वतः समाप्त हो जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा भरा गया विकल्प/प्राथमिकता क्रम अपरिवर्तनीय होगा।

(3) यदि अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में गलत जानकारी देता है या किसी तथ्यात्मक जानकारी को छिपाता है, तो वह अनर्ह समझा जायेगा। ऐसी दशा में उसे शासन के अधीन नियुक्ति पाने अथवा सेवा में निरन्तर बने रहने का अधिकार नहीं होगा तथा उसकी सेवा नियुक्ति प्राधिकारी व्दारा तत्काल, बिना कोई पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी।

(4) उप–नियम (1) के खण्ड (क), (ख) या (ग) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची–एक में यथा विनिर्दिष्ट कर्त्तव्य पदों की संख्या के अनुसूची–दो में दर्शाए गए प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी।

(5) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, सेवा में किसी ऐसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को, जिनका कि भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरा जाना आपेक्षित हो, भरने के प्रयोजन के लिये अंगीकृत किये जाने वाला भर्ती का तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके से भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर विभागाध्यक्ष (पुलिस महानिदेशक) व्दारा शासन के परामर्श से अवधारित की जावेगी।

(6) उप–नियम (1) में अंर्तविष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि शासन की राय में, सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए, ऐसा करना अपेक्षित हो, तो शासन सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमति से, सेवा में भर्ती के उन तरीकों को छोड़ जिनको उक्त उप–नियम में विनिर्दिष्ट किया गया है, ऐसे अन्य तरीके अपना सकेगा, जिसे वह इस निमित्त जारी किये गये आदेश व्दारा विहित करें।

(7) विभाग द्वारा सीधी भर्ती व्दारा पदों को भरे जाने के प्रयोजन के लिए, पुलिस मुख्यालय स्तर पर चयन समिति पुलिस महानिदेशक द्वारा तथा रेंज स्तर पर रेंज पुलिस महानिरीक्षक द्वारा गठित की जाएगी, जो इन मापदण्डों के अलावा अन्य युक्तिसंगत मापदण्ड शासन की सहमति से अपना सकेगी।

(8) (क) सेवा में भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ें वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन 1994) के प्रावधान तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग व्दारा आरक्षण के संबंध में समय–समय पर जारी नियम/निर्देश (यथा संशोधित) लागू होंगे।

(ख) आयु में सामान्य उच्चतर सीमा (28 वर्ष में) किसी भी आधार पर छूट चाहने वाले उम्मीद्वार को तत्संबंधी सुसंगत प्रमाण–पत्र आवेदन–पत्र के साथ संलग्न करना होगा। इसी प्रकार जो उम्मीद्वार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) का होकर इन वर्गों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए दावा करना चाहता है तो उसे तत्संबंधी निर्धारित प्रारूप में राज्य शासन द्वारा अधिकृत प्राधिकारी से स्थाई जाति प्रमाण–पत्र प्राप्त कर संलग्न करना होगा।

(9) उपनियम (1) के खण्ड (क) के अधीन लिखित परीक्षा एवं शारीरिक मापदंड परीक्षा आयोजित की जाएगी। शारीरिक मापदंड परीक्षा क्वालिफाईंग प्रकृति की होगी। उपरोक्त परीक्षाएं किसी भी क्रम में आयोजित की जा सकेगी।

(10) **चयन सूची** – लिखित परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर तैयार मेरिट लिस्ट के अनुसार आरक्षण नियमों के अध्ययाधीन प्रवर्गवार चयन सूची तैयार की जायेगी।

(11) **चयन सूची का अनुमोदन** – परीक्षा के उपरांत अंक सहित चयन सूची तत्काल ही तैयार की जाकर निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार समस्त आवश्यक रिकार्ड के साथ पुलिस मुख्यालय के सामान्य शाखा सवंर्ग, विशेष शाखा संवर्ग, अपराध अनुसंधान संवर्ग के लिए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन/गुप्तवार्ता/अ.अ.वि.) तथा जिला/इकाई संवर्ग के लिए उनके नियंत्रणकर्ता अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/रेंज पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक की ओर अनुमोदन हेतु भेजी जावेगी। उक्त अधिकारी, प्रथम उपलब्ध अवसर परन्तु पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही सूची का परीक्षण कर अनुमोदन आदेश जारी करेंगे। किसी भी मामले में उक्त अधिकारी, चयन एवं प्रतीक्षा सूची के अनुमोदन के दौरान परीक्षण करेंगे कि–

1. क्या भर्ती नियमानुसार की गई है ?
2. क्या भर्ती में आरक्षण संबंधी नियमों का पालन किया गया है ?
3. भर्ती के दौरान कोई गंभीर अनियमितता या ऐसी शिकायत तो सामने नहीं आई जो प्रथम दृष्टया सही प्रतीत होती हो ?
4. कोई अन्य स्वस्पष्ट चूक या त्रुटि या लापरवाही तो परिलक्षित नहीं हो रही है ?

यदि उक्त अधिकारी उपरोक्तानुसार त्रुटि पाते हैं तथा चयन सूची अनुमोदित नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसी सूची, उक्त अधिकारी अनुमोदित नहीं करने का कारण स्पष्ट करते हुए विभागाध्यक्ष (पुलिस महानिदेशक) को समस्त अभिलेखों के साथ प्रेषित करेंगे। विभागाध्यक्ष (पुलिस महानिदेशक) उस पर अपने विवेकानुसार अंतिम निर्णय लेने हेतु सक्षम होंगे। केवल अंक गणितीय चूक के आधार पर भर्ती तभी निरस्त की जावेगी जब तक यह स्पष्ट न हो जाये कि इसके कारण अभ्यर्थियों के चयन पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। अप्रमाणित शिकायतों अथवा जनचर्चा के आधार पर भर्ती निरस्त नहीं की जा सकेगी।

चयन सूची या तो पूरी तरह अनुमोदित की जावेगी अथवा पूरी तरह निरस्त की जावेगी. कुछ नाम अनुमोदित तथा कुछ नाम निरस्त नहीं किये जावेंगे. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन/गुप्तवार्ता/अ.अ.वि.) तथा जिला/इकाई संवर्ग के लिए उनके नियंत्रणकर्ता अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/रेंज पुलिस महानिदेशक/पुलिस उप महानिरीक्षक पुनः मूल्यांकन अथवा पुनः परीक्षा का आदेश नहीं दे सकेंगे. अनुमोदन के पूर्व उक्त अधिकारी सभी आवश्यक रिकार्ड एवं कच्चा कार्य परीक्षण हेतु बुला सकेंगे।

परन्तु छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा चयन सूची/लिस्ट–बी जारी किये जाने की स्थिति में मण्डल से प्राप्त चयन सूची/लिस्ट–बी के आधार पर नियुक्ति संबंधी आगामी कार्यवाही की जावेगी।

(12) **दस्तावेज सत्यापन–** अभ्यर्थी संबंधित भर्ती विज्ञापन में दिये गये प्रावधानों अनुसार अपने दस्तावेज सत्यापन हेतु प्रस्तुत करेंगे तथा उनका सत्यापन विभाग द्वारा जारी समय–सारणी तथा प्रक्रिया अनुरूप किया जायेगा। यदि किसी अभ्यर्थी के द्वारा निर्धारित समय तथा प्रक्रिया अनुरूप संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाते है तो संबंधित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त मानी जायेगी।

अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर अभ्यर्थिता निरस्त किये जाने की दशा में विज्ञापन अथवा प्रचलित नियमों के अनुसार अपील तथा उसके

निराकरण की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। अपीलोपरान्त भी दस्तावेज उपयुक्त न पाये जाने पर अभ्यर्थिता निरस्त मानी जायेगी।

(13) चयन सूची जारी होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा आगामी सीधी भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होने तक, जो भी पहले हो, वैध रहेंगी।

(14) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति का कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी आवश्यक जांच करने के पश्चात यह समाधान न कर ले कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति हेतु सभी प्रकार से उपयुक्त है।

7. **सेवा में नियुक्ति** – (1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में समस्त नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी व्दारा की जायेगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति, नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के किसी एक तरीके व्दारा चयन करने के पश्चात् ही की जायेगी, अन्यथा नहीं।

(2) नियुक्तियॉ पदों की उपलब्धता तथा अभ्यर्थी द्वारा दिये गये विकल्प/प्राथमिकता (यदि विनिर्दिष्ट हो) के अधीन चयन सूची से की जायेंगी।

(3) समान कुल अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की परस्पर वरिष्ठता उनकी जन्मतिथि के आधार पर निश्चित की जावेगी, अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरिष्ठ माना जावेगा। जन्मतिथि व प्राप्तांक दोनों समान होने पर जिसका आवेदन पंजीयन पहले हुआ हो, उसे वरिष्ठ माना जायेगा।

(4) **स्वास्थ्य परीक्षण–** चयनित अभ्यर्थियों का नियुक्ति आदेश जारी होने से पूर्व स्वास्थ्य परीक्षण विभाग द्वारा करवाया जायेगा और पूर्ण रूप से स्वस्थ होना अनिवार्य होगा। स्वास्थ परीक्षण में अनुपयुक्त पाये जाने पर चयन निरस्त माना जायेगा।

(5) **चरित्र सत्यापन–** चयनित अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन कराया जाना अनिवार्य होगा, निर्धारित समयसीमा में चरित्र सत्यापन पूर्ण न होने की दशा में नियुक्तिकर्ता अधिकारी सशर्त नियुक्ति प्रदान करते हुए सत्यापन करायेगा। चरित्र सत्यापन में प्रतिकूल टिप्पणी पाये जाने पर नियुक्ति निरस्त की जायेगी।

8. **सीधी भर्ती के लिए पात्रता की शर्ते.** –सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को निम्नलिखित पात्रता की शर्ते पूरी करनी होगी, अर्थात् :–

(1) आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है।

(2) अभ्यर्थी का आचरण एवं पिछला रिकार्ड अच्छा होना चाहिए।

(3) **आयु –** (क) विज्ञापन प्रकाशित होने की वर्ष की 1 जनवरी को अभ्यर्थी ने अनुसूची–तीन के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो तथा उक्त अनुसूची–तीन के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो।

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछडे वर्ग का हो तो उच्चतर आयुसीमा अधिक से अधिक पॉच वर्ष तक शिथिल की जावेगी,

(ग) ऐसे अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ शासन के कर्मचारी हों, अथवा रह चुके हों, किन्तु शासकीय सेवा के अयोग्य न ठहराये गये हो, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उच्चतर आयुसीमा शिथिल की जा सकेगीः–

(एक) स्थाई शासकीय सेवक 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए।

(दो) अस्थाई पद धारण करने वाला तथा किसी अन्य पद हेतु आवेदन करने वाला अभ्यर्थी 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये। यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले, कार्यभारित कर्मचारी तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारी को भी अनुज्ञेय होगी,

(तीन) यदि अभ्यर्थी छंटनी किया गया शासकीय सेवक हो, तो उसकी आयु में से पूर्व की गई सम्पूर्ण अस्थाई सेवा की अवधि, अधितकतम सात वर्ष तक, कम करने की अनुज्ञा दी जायेगी; परन्तु प्रकार प्राप्त आयु उच्चतर आयुसीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

स्पष्टीकरणः—''छंटनी किये गये सरकारी कर्मचारी'' से अभिप्रेत ऐसा व्यक्ति हो जो इस राज्य अथवा किसी संगठन इकाई की अस्थाई सरकारी सेवा में निरंतर कम—से—कम छह माह रहा हो और जो रोजगार कार्यालय में पंजीयन कराने अथवा सरकारी सेवा में नियुक्ति हेतु आवेदन देने की तारीख से अधिकतम तीन वर्ष पूर्व कर्मचारियों की संख्या में कमी के कारण सेवामुक्त किया गया हो।

(घ) भूतपूर्व सैनिक को अपनी आयु में से उसके व्दारा पहले की गई सम्पूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञा होगी, परन्तु इससे प्राप्त आयु उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरणः—''भूतपूर्व सैनिक'' से अभिप्रेत ऐसा व्यक्ति है जो निम्नलिखित प्रवर्गो में से किसी एक ' का हो तथा भारत सरकार के अधीन कम—से—कम छह मास की अवधि तक निरंतर नियोजित रहा हो और मितव्ययिता संबंधी सिफारिशों, स्थापना में सामान्य कमी, छंटनी अथवा अधिशेष घोषित किये जाने के कारण सेवामुक्त हुआ हो :—

(1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें सेवा निवृत्ति रियायतों (मास्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो;

(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जो दूसरी बार भरती किये गये हों, और जिन्हें (क) अल्पकालीन वचनबंध पूर्ण होने पर अथवा (ख) भर्ती संबंधी शर्तें पूर्ण होने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो;

(3) मद्रास सिविल यूनिट के भूतपूर्व कर्मचारी;

(4) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक), जिनमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी सम्मिलित है, जो उनकी संविदा पूर्ण होने पर सेवान्मुक्त किए गए हों;

(5) ऐसे अधिकारी जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छह मास से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात सेवोन्मुक्त किया गया हो;

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो।

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं;

(8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें गोली लगने, घाव आदि के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग किया गया हो ।

(ङ) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम, 1997 के अधीन केवल छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी महिला अभ्यर्थियों के लिए सामान्य उच्चतर आयुसीमा 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(च) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछडा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अधीन पुरस्कृत दम्पतियों के संवर्ण साथी की सामान्य अधिकतम् आयुसीमा पॉच वर्ष तक शिथिल की जायेगी।

(छ) शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद्र भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं को सामान्य अधिकतम आयुसीमा में पांच वर्ष तक की छूट दी जायेगी।

(ज) छत्तीसगढ राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारियों के लिए अधिकतम् आयुसीमा को 38 वर्ष तक शिथिल की जायेगी।

(झ) स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नान–कमीशंड अधिकारियों के मामलों में अधिकतम् आयुसीमा उनके व्दारा की गई ऐसी सेवा की अवधि तक, अधिकतम आठ वर्ष की सीमा के अधीन, शिथिल की जायेगी; किन्तु किसी भी मामले में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होगी। स्वयंसेवी नगर सैनिकों एवं नान–कमीशंड अधिकारियों को पूर्ण किये गये नगर सेना सेवा–वर्षों के बराबर सामान्य अधिकतम् आयुसीमा में छूट दी जाएगी।

टिप्पणी– उपर्युक्त खण्ड (ग) के उपखण्ड (एक) तथा (दो) में उल्लेखित आयु रियायतों के आधार पर चयन मे सम्मिलित अभ्यर्थी यदि आवेदन के पश्चात या चयन के पहले/बाद सेवा से त्याग पत्र दे दें, तो नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे; तथापि आवेदन के पश्चात उनकी सेवा/पद से छंटनी होने पर वे नियुक्ति के पात्र बने रहेंगे ।

(ञ) छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक एफ 3–2/2002/1–3 रायपुर, दिनांक 30.01.2012 के अनुसार संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को शासकीय सेवा में आवेदन हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी, जितने वर्ष उन्होंने संविदा के रूप में सेवा की है। यह छूट अधिकतम 38 वर्ष की आयुसीमा तक रहेगी।

(ट) आयु सीमा में दी जाने वाले समस्त छूटें भर्ती नियमों के प्रावधानों तथा राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार होंगी।

(4) **शारीरिक अर्हताः–** सभी संवर्गों में अभ्यार्थियों की भर्ती के लिए निम्नलिखित शारीरिक अर्हताएं निम्नानुसार होंगी :–

स.क्र.	वर्ग	निर्धारित न्यूनतम् उंचाई	
		पुरूष	महिला
1	अनारक्षित, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग	158 सेमी.	153 सेमी.
2	अनुसूचित जनजाति वर्ग	153 सेमी.	151 सेमी.

(क) अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से दिव्यांग नहीं होना चाहिये।

(ख) सभी अभ्यर्थियों को चिकित्सीय दृष्टि से योग्य होना चाहिये। अयोग्य अभ्यर्थियों के संबंध में सक्षम अधिकारी स्वयं देखकर निर्णय लेगा तथा आवश्यकता होने पर जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी से परामर्श ले सकेगा। अभ्यर्थी को आंखों से संबंधित कोई रोग नहीं होना चाहिये। बिना चश्में के एक ऑख की दृष्टि 6/9 तथा दूसरी ऑख की 6/12 से कम नहीं होनी चाहिये। अभ्यर्थी मुख्य रंगों में भेद करने में सक्षम होना चाहिए।

नोट– अनुकंपा नियुक्ति तथा नक्सल पुनर्वास नीति के तहत दी गई नियुक्ति के विशेष प्रकरणों में शारीरिक मापदण्ड अंतर्गत ऊंचाई के संबंध में छूट पुलिस महानिदेशक द्वारा दी जा सकेगी।

(5) **शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव :–** अभ्यर्थी के पास सेवा के लिए विहित ऐसी शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिए, जैसा कि अनुसूची–तीन के कॉलम (5) में दर्शित है।

9. निरर्हता :– (1) अभ्यर्थी की ओर से अपने चयन के लिये सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिये से किया गया कोई भी प्रयास चयन समिति व्दारा परीक्षा/चयन में सम्मिलित करने के लिये उसे अयोग्य बनाने वाला माना जावेगा।

(2) कोई भी पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हों, किसी सेवा या पद में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी:

परन्तु यदि शासन का यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो शासन, ऐसे अभ्यर्थियों को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

(3) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जैसा कि विहित किया जाये, मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ्य तथा किसी मानसिक या शारीरिक दोष, जो किसी सेवा या पद के कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सकता हों, से मुक्त घोषित न कर दिया जाय;

परन्तु आपवादिक मामलों में, अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अधीन अस्थायी नियुक्ति दी जा सकेगी कि यदि वह चिकित्सीय रूप से अस्वस्थ पाया जाता है, तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेंगी।

(4) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी सम्यक् जांच, जैसा कि वह आवश्यक समझे, के पश्चात् यह समाधान हो जाये कि वह ऐसी सेवा या पद के लिए उपयुक्त नहीं है।

(5) कोई अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा।

10. अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा :– परीक्षा/चयन के लिए अभ्यर्थी की पात्रता अथवा अन्यथा के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी/चयन समिति का विनिश्चय अंतिम होगा तथा ऐसे किसी भी अभ्यर्थी को जिसे नियुक्ति प्राधिकारी/चयन समिति व्दारा प्रवेश पत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा/साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

11. प्रतियोगिता परीक्षा/चयन व्दारा सीधी भर्ती. :– प्रतियोगिता परीक्षा व्दारा सीधी भर्ती अनुसूची–दो में उल्लेखित सीधी भर्ती के पदों में चयन के लिए :–

पुलिस महानिदेशक के अनुमोदन से पुलिस मुख्यालय सामान्य शाखा संवर्ग, विशेष शाखा संवर्ग, अपराध अनुसंधान विभाग शाखा संवर्ग के लिए, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन/गुप्तवार्ता/अ.अ.वि.) द्वारा तथा जिला/इकाई संवर्ग के लिए उनके नियंत्रणकर्ता अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/रेंज पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक व्दारा चयन समिति गठित की जावेगी, जिसमें 04 सदस्य सम्मिलित होंगे।

परन्तु इस उप–नियम के अधीन, समिति के गठन के प्रयोजन हेतु छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ें वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन 1994) की धारा 8 के उपबंधों का अनुसरण किया जायेगा तथा साथ ही छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी परिपत्र क्र. एफ–13–8/2019/आ.प्र./1–3 दिनांक 27.08.2020 के परिपालन में समिति में एक महिला सदस्य को रखा जाना अनिवार्य है।

12. चयन समिति व्दारा अनुशंसित किये गये अभ्यर्थियों की सूची– (1) चयनित अभ्यर्थियों की सूची नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित की जायेगी।

(2) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए उपलब्ध रिक्तियों पर नियुक्ति के लिये उसी क्रम में विचार किया जायेगा, जिस क्रम में अभ्यर्थियों के नाम सूची में आये है।

13. **यात्रा किराया :–** लिखित परीक्षा एवं प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित होने पर केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को शासन के आदेशानुसार वास्तविक यात्रा किराया दिया जाएगा। यात्रा टिकट प्रस्तुत न करने की स्थिति में अभ्यर्थी के पते के जिले में जाने वाली ट्रेन या बस का किराया, जो भी न्यूनतम् हो, भुगतान किया जावेगा। यह किराया अभ्यर्थियों को उनके जाति प्रमाण–पत्र के सत्यापन के पश्चात दिया जाएगा।

14. **परिवीक्षा अवधि तथा प्रशिक्षण–** (1) उपर्युक्त प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्येक चयनित अभ्यर्थी को तीन वर्ष की परीवीक्षा पर नियुक्त किया जावेगा। जिस अभ्यर्थी को परीवीक्षा पर नियुक्ति पत्र जारी किया गया हो, उसे 30 दिवस के भीतर निर्धारित इकाई में आमद देना अनिवार्य होगा, अन्यथा उसकी नियुक्ति स्वमेव निरस्त हो जायेगी।

(2) निर्धारित प्रशिक्षण विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण संस्थाओं तथा अन्य इकाईयों में नियुक्ति के पश्चात दिया जावेगा। निर्धारित लिखित, मौखिक तथा प्रायोगिक परीक्षा में असफल रहने तथा समय–समय पर निर्धारित मानदण्डों व्दारा प्रशिक्षण उद्देश्यों को पूरा न कर पाने पर प्रशिक्षण अवधि बढ़ाई जा सकेगी अथवा उसे सेवा से पृथक किया जा सकेगा।

15. **सामान्य निर्देशः–** (1) अभ्यर्थियों की नियुक्ति वरिष्ठता क्रम में 100 बिन्दु रोस्टर के अनुसार की जायेगी।

(2) भर्ती के सभी रिकार्ड एवं रफ कार्य सुरक्षित रखे जायेंगे। भर्ती समाप्त होने के तीन वर्ष के पश्चात ही उन्हें नष्ट किया जा सकेगा, बशर्ते भर्ती से संबंधित कोई जांच न चल रही हो/प्रस्तावित न हो अथवा न्यायालयीन प्रकरण लंबित न हो ।

(3) चयनसूची जारी होने से पहले या पश्चात में किसी भी स्तर पर, यदि चयन एवं भर्ती शाखा पुलिस मुख्यालय, रायपुर के संज्ञान में कोई कम्प्यूटर/लिपिकीय त्रुटि प्रकाश में आती है, तो चयन एवं भर्ती शाखा को उसे सुधारने का अधिकार होगा।

(4) पुर्नविलोकन में विज्ञापित पदों की संख्या, लिखित परीक्षा के परिणाम घोषित होने से पहले पुलिस मुख्यालय व्दारा बदली जा सकती है। परिवर्तन की स्थिति में, न तो अलग से आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे और न ही अभ्यार्थियों व्दारा प्रस्तुत किये गये पहले से भरे हुए आवेदनों में संशोधन मांगा जायेगा।

(5) यदि कोई आवेदक चयन सूची जारी होने से पूर्व या पश्चात किसी भी स्तर पर अपात्र पाया जाता है या उसके व्दारा दी गई जानकारी गलत पाई जाती है, तो उसकी अभ्यर्थिता/चयन रद्द किया जा सकता है।

(6) जो अभ्यर्थी, जिस इकाई में नियुक्त किया जायेगा, वहॉ उसे कम–से–कम पॉच वर्ष की सेवा पूर्ण करनी होगी, उसके पश्चात ही वह अन्य इकाई में स्थानांतरण का पात्र हो सकेगा।

16. **पदोन्नति व्दारा नियुक्ति :–**(1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिए अनुसूची–चार में उल्लेखित सदस्यों को मिलाकर विभागीय पदोन्नति समिति गठित की जायेगीः

परन्तु इस उप–नियम के अधीन, समिति के गठन के प्रयोजन के लिये छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) की धारा 8 के उपबंधों का भी अनुशरण किया जायेगा। साथ ही छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी परिपत्र क्र. एफ–13–8/2019/आ.प्र./1–3 दिनांक 27.08.2020 के परिपालन में समिति में एक महिला सदस्य को रखा जाना अनिवार्य है।

(2) समिति की बैठक ऐसे अंतरालों में होगी, जो साधारणतः एक वर्ष से अनधिक हो।

(3) समिति का कार्यकाल उसका गठन किए जाने से एक वर्ष या जब तक उसका पुनर्गठन न हो जाये, इसमें से जो पहले है, वही होगा।

(4) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों एवं अनुसूची–पांच में उल्लिखित मापदण्ड के अनुसार पदोन्नति दी जायेगी।

(5) संवर्गवार, रिक्तियों में पदोन्नति करने हेतु प्रक्रिया उप–नियम 4 में उल्लिखित नियम एवं छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग व्दारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार होगी।

17. पदोन्नति के लिए पात्रता की शर्ते :–(1) समिति, उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को उन पदों में, जिससे पदोन्नति की जानी है या शासन व्दारा उसके समतुल्य घोषित किसी अन्य पद या पदों पर (चाहे मूल रूप में या स्थानापन्न रूप में) उतने वर्षो की सेवा, जैसा कि अनुसूची–चार के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट है, पूर्ण कर ली हो और जो उप–नियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र के भीतर आते हों।

स्पष्टीकरणः– पदोन्नति के लिए पात्रता हेतु संगणना की रीति– संबंधित वर्ष जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति आहूत की जाती है, की प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की अवधि की गणना, उस कैलेण्डर वर्ष से की जायेगी, जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया हो और फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से नहीं ।

(2) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधो के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण दिया जावेगा ।

(3) पदोन्नति, सामान्य प्रशासन विभाग व्दारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार की जायेगी।

(4) प्रत्येक सेवा के पद/रैंक पर पदोन्नति हेतु पदोन्नति–पश्चात–प्रशिक्षण में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा।

18. पदोन्नति हेतु पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना– (1) विभागीय पदोन्नति समिति ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो उपरोक्त नियम 17 में विहित शर्तो को पूरी करते हों तथा जिन्हें समिति व्दारा सेवा में पदोन्नति के लिए उपर्युक्त समझा गया हो।

जिस संबंधित वर्ष के लिये पदोन्नति प्रक्रिया आयोजित की जानी है, उस वर्ष अर्थात एक जनवरी से 31 दिसम्बर के दौरान पदोन्नति के लिए रिक्तियों की संख्या की गणना विद्यमान तथा सेवानिवृत्ति एवं उच्चतर संवर्ग/सेवा के भाग/पदों के उच्चतर वेतनमान में पदोन्नति के कारण प्रत्याशित रिक्तियों में 25 प्रतिशत (अप्रत्याशित) अधिक का योग करते हुए की जायेगी।

(2) उक्त सूची, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों एवं अनुसूची–पांच में उल्लिखित मापदण्ड के अनुसार तैयार की जावेगी। पदोन्नति के लिए व्यक्तियों की योग्यता सूची तैयार करने के लिए मापदण्ड वरिष्ठता–सह–उपयुक्तता (सीनियरिटी सबजेक्ट टू फिटनेस) होगी।

(3) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के अनुसार, योग्यता सूची की तैयारी के समय, सूची में सम्मिलित कर्मचारियों के नाम, अनुसूची–चार के कॉलम(3) में यथा विनिर्दिष्ट सेवा या पदों में वरिष्ठता के कम में रखे जायेंगे।

स्पष्टीकरण– ऐसे व्यक्ति का नाम जिसका योग्यता सूची में शामिल किया गया है, किन्तु जिसे सूची की विधिमान्यता के दौरान पदोन्नत नहीं किया गया है, केवल उसके पूर्वोत्तर चयन के तथ्य से ही उन व्यक्तियों के ऊपर जिन पर पश्चात्वर्ती चयन में विचार किया गया है, वरिष्ठता का कोई दावा नहीं किया जायेगा।

19. योग्यता सूची :–

(1) अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन/गुप्तवार्ता/अ.अ.वि.) तथा जिला/इकाई में पदस्थ आरक्षक–अ एवं प्रधान आरक्षक–अ संवर्ग के लिये उनके नियंत्रणकर्ता अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/रेंज पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित की गई सूची अनुसूची–चार के कॉलम (2) में

उल्लिखित पदों से, अनुसूची–चार के कॉलम (3) में उल्लिखित पदों पर, सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिये योग्यता सूची होगी।

(2) जिस कैलेण्डर वर्ष में पदोन्नति के लिए योग्यता सूची तैयार की गई हो उसकी विधि मान्यता उस कैलेण्डर वर्ष के 31 दिसम्बर तक मान्य रहेगी।

परन्तु योग्यता सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से कर्तव्य के निर्वहन अथवा पालन में गंभीर चूक होने की स्थिति में, योग्यता सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और योग्यता सूची से ऐसे व्यक्ति का नाम हटाया जा सकेगा।

(3) जिन कर्मचारी के विरूद्ध निलंबन या विभागीय जांच या अपराधिक प्रकरण लंबित हो, उनके संबंध में विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा सीलबंद लिफाफे में रखी जावेगी तथा विभागीय जांच/अपराधिक प्रकरण का निराकरण होने पर, यदि कर्मचारी को पूर्णतः दोषमुक्त कर दिया जाता है, तो उसे पदोन्नति समिति की अनुशंसाओं के अनुसार पदोन्नति के योग्य या अयोग्य माना जायेगा। जिस कर्मचारी को ऐसी परिस्थितियों में पदोन्नति दी जायेगी, उसे उसी तारीख से पदोन्नति के समस्त लाभ दिये जावेंगे, जिस तारीख से उसके कनिष्ठ को पदोन्नति दी गई है, तथापि "काम नहीं वेतन नहीं" के सिद्धांत के अनुसार उसे बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा।

(4) पदोन्नति पश्चात् पदोन्नति–पश्चात–प्रशिक्षण में शामिल होना अनिवार्य होगा। पुलिस मुख्यालय की प्रशिक्षण शाखा द्वारा पदोन्नति–पश्चात–प्रशिक्षण हेतु सीटों की संख्या के आबंटन पश्चात्, संवर्ग में अनुमोदनकर्ता अधिकारी द्वारा योग्यता सूची में वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति–पश्चात–प्रशिक्षण हेतु पदोन्नत अधिकारी/कर्मचारी नामांकित किये जायेंगे।

योग्यता सूची की समयावधि समाप्ति उपरांत यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी पदोन्नत नहीं हो पाता है, तो पूर्व वर्ष की योग्यता सूची के आधार पर पदोन्नति अथवा वरिष्ठता के लाभ की पात्रता नहीं होगी, किन्तु नई योग्यता सूची में उसका नाम आने के उपरांत ही जहां उसका वरिष्ठता क्रम निर्धारित किया गया हो, उसी क्रम में वरिष्ठता का लाभ दिया जावेगाः परन्तु उसको उक्त अवधि में कोई बडी सजा नही मिली हो तथा उसके विरूद्ध कोई विभागीय जांच, अपराधिक प्रकरण विचाराधीन/लंबित न हो। यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी को इस अवधि में दीर्घशास्ति अधिरोपित हो जाती है, तो उसका नाम योग्यता सूची से हटा दिया जायेगा। योग्यता सूची तैयार करने एंव पुनरीक्षण की कार्यवाही प्रत्येक वर्ष की जायेगी।

20. चयन/योग्यता सूची से सेवा में नियुक्ति.–

(1) योग्यता सूची में सम्मिलित कर्मचारियों की सेवा संवर्ग के पदों पर नियुक्ति में उसी क्रम का अनुपालन किया जायेगा, जिस क्रम में ऐसे कर्मचारियों के नाम योग्यता सूची में आये हों।

(2) साधारणतः उस व्यक्ति की जिसका नाम योग्यता सूची में सम्मिलित हो, नियुक्ति के पूर्व समिति से परामर्श करना सामान्यतः आवश्यक नहीं होगा, जब तक कि योग्यता सूची में उसका नाम शामिल किये जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की अंतराल के दौरान उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट न आ जाये, जो नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, सेवा में नियुक्ति के लिए उसे अनुपयुक्त सिद्ध करती हो।

21. परिवीक्षा– सेवा में पदोन्नति से पदस्थ किये गये प्रत्येक व्यक्ति को तीन वर्ष की कालावधि के लिये स्थानापन्न हैसियत में नियुक्त किया जायेगा।

22. निर्वचन– यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो, तो उसे शासन को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

23. **शिथिलीकरण.—** इन नियमों में दी गई किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को, जो उसे न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत हो, सीमित या कम करती है;

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति से नही निपटाया जायेगा, जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो ।

24. **व्यावृत्ति—** इन नियमों में दी गई कोई भी बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के लिए, राज्य शासन व्दारा समय—समय पर इस संबंध में जारी किये गये निर्देशों/आदेशों के अनुसार दिये जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, शिथिलीकरण तथा अन्य शर्तो को प्रभावित नहीं करेगी।

25. **निरसन—** इन नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद् व्दारा निरसित किये जाते हैं;

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्यवाही, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्यवाही समझी जावेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम प्रसाद चौहान, उप—सचिव.

अनुसूची–एक
(नियम 5 देखिये)
सेवा में वर्गीकरण, वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या

स.क्र.	सेवा में सम्मिलित पद का नाम	कुल पदों की संख्या*	वर्गीकर	वेतन मैट्रिक्स लेवल	नियुक्ति प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	निरीक्षक–अ (शीघ्रलेखक)	33	तृतीय श्रेणी	लेवल–9	पुलिस महानिरीक्षक
2.	उप निरीक्षक–अ (शीघ्रलेखक)	61	तृतीय श्रेणी	लेवल–8	पुलिस उप महानिरीक्षक
3.	निरीक्षक (अ)	107	तृतीय श्रेणी	लेवल–9	पुलिस महानिरीक्षक
4.	उपनिरीक्षक (अ)	280	तृतीय श्रेणी	लेवल–8	पुलिस उप महानिरीक्षक
5.	सहायक उपनिरीक्षक(अ)	681	तृतीय श्रेणी	लेवल–4	सहायक पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस अधीक्षक / सेनानी
6.	प्रधान आरक्षक(अ)	39	चतुर्थ श्रेणी	लेवल–2	–तदैव–
7.	आरक्षक(अ)	80	चतुर्थ श्रेणी	लेवल–1	–तदैव–
8.	सहायक प्रोग्रामर (निरीक्षक–अ)	06	तृतीय श्रेणी	लेवल–9	पुलिस महानिरीक्षक
9.	डाटा एण्ट्री ऑपरेटर	36	तृतीय श्रेणी	लेवल–6	सहायक पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस अधीक्षक / सेनानी
10.	ग्रंथपाल	01	तृतीय श्रेणी	लेवल–7	–तदैव–
11.	सहायक ग्रंथपाल	02	तृतीय श्रेणी	लेवल–6	–तदैव–

*कुल पदों की संख्या शासन स्वीकृति के अधीन परिवर्तनीय होगी।

अनुसूची–दो
(नियम 6 देखिये)

स.क्र.	सेवा/ पद का नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या*	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या का प्रतिशत			टिप्पणियां
			सीधी भर्ती व्दारा (नियम 6 (1)(ख) देखिये)	पदोन्नति व्दारा (नियम 6(1)(ख) देखिये	अन्य विभाग से व्यक्तियों के स्थानांतरण/ प्रतिनियुक्ति व्दारा (नियम 6(1)(ग) देखिये)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	निरीक्षक–अ (शीघ्रलेखक)	33	-	100%	-	
2.	उप निरीक्षक–अ (शीघ्रलेखक)	61	100%	-	-	
3.	निरीक्षक (अ)	107	-	100%	-	
4.	उपनिरीक्षक (अ)	280	-	100%	-	
5.	सहायक उपनिरीक्षक (अ) **	681**	75%**	25%**	75% सीधी भर्ती के पदो मे से 10% पदों को स्थानांतरण/ प्रतिनियुक्ति से भरा जा सकेगा। इसके लिए और कोई अतिरिक्त कोटा नहीं होगा।	
6.	प्रधान आरक्षक (अ)	39	-	100%	-	
7.	आरक्षक (अ)	80	100%	-	-	
8.	सहायक प्रोग्रामर (निरीक्षक–अ)	06	-	100%	-	
9.	डाटा एण्ट्री ऑपरेटर	36	100%	-	-	
10.	ग्रंथपाल	01	-	100%	-	
11.	सहायक ग्रंथपाल	02	100%	-	-	

* कर्तव्य पदों की संख्या शासन स्वीकृति के अधीन परिवर्तनीय होगी।

** जिन इकाईयों में प्रधान आरक्षक–अ का कोई पद स्वीकृत नहीं है, उन इकाईयों में सहायक उप निरीक्षक–अ के सभी पद सीधी भर्ती से ही भरे जावेंगे।

अनुसूची –तीन
(नियम 8 देखिये)

स.क्र.	सेवा/पद का नाम	न्यूनतम् आयु सीमा	अधिकतम् आयु सीमा	न्यूनतम् शैक्षणिक/तकनीकी अर्हताएं	चयन समिति
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	उप निरीक्षक–अ (शीघ्रलेखक)	18	28	(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण एवं मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा। अथवा किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से हायर सेकेण्डरी (10+2) उत्तीर्ण एवं छत्तीसगढ़ राज्य की मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्था से Modern Office Management (MOM) डिप्लोमा। (2) शासन व्दारा मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक/औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आई.टी.आई.) या छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन मुद्रलेखन कम्प्यूटर कौशल परीक्षा परिषद से – (क) शीघ्रलेखक (हिन्दी) के लिए – हिन्दी शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र एवं शीघ्रलेखन की 100 शब्द प्रति मिनिट की गति। (ख) शीघ्रलेखन (अंग्रेजी) के लिए – अंग्रेजी शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र एवं शीघ्रलेखन की 100 शब्द प्रति मिनिट की गति। (3) छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन मुद्रलेखन कम्प्यूटर कौशल परीक्षा परिषद से (कम्प्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से) मुद्रलेखन गति 10,000	(1) उप पुलिस महानिरीक्षक– **अध्यक्ष** (2) सहायक पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक/सेनानी स्तर–03 अधिकारी – **सदस्य** **(पुलिस महानिदेषक द्वारा नामांकित)**

स.क्र.	**सेवा/पद का नाम**	**न्यूनतम् आयु सीमा**	**अधिकतम् आयु सीमा**	**न्यूनतम् शैक्षणिक/तकनीकी अर्हताएं**	**चयन समिति**
				की (Key) डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति का प्रमाण पत्र।	
2.	सहायक उपनिरीक्षक (अ)	–तदैव–	–तदैव–	(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण एवं मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा। अथवा किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से हायर सेकेण्डरी (10+2) उत्तीर्ण एवं छत्तीसगढ़ राज्य की मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्था से Modern Office Management (MOM) डिप्लोमा। (2) छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन मुद्रलेखन कम्प्यूटर कौशल परीक्षा परिषद से (कम्प्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से) हिन्दी अथवा अंग्रेजी मुद्रलेखन में गति 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति का प्रमाण पत्र।	(1) **अध्यक्ष–** सहायक पुलिस महानिरीक्षक /पुलिस अधीक्षक/सेनानी (2) **सदस्य–** अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक/उप सेनानी एवं उप पुलिस अधीक्षक/सहायक सेनानी स्तर के 03 अधिकारी (पुलिस मुख्यालय स्तर पर संबंधित अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक तथा जिला/इकाई संवर्ग के लिए उनके नियंत्रणकर्ता अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/रेंज पुलिस महानिरीक्षक द्वारा नामांकित)
3.	आरक्षक (अ)	–तदैव–	–तदैव–	किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से हाई स्कूल (10वीं) परीक्षा उत्तीर्ण।	(1) **अध्यक्ष–** पुलिस अधीक्षक/ सेनानी/ सहायक पुलिस महानिरीक्षक (2) **सदस्य–** अति. पुलिस अधीक्षक/ उप सेनानी अथवा उप पुलिस अधीक्षक/सहायक सेनानी स्तर के 03 अधिकारी– (पुलिस मुख्यालय स्तर पर संबंधित अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक तथा जिला/इकाई संवर्ग के लिए उनके नियंत्रणकर्ता अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/रेंज पुलिस महानिरीक्षक द्वारा नामांकित)

स.क्र.	सेवा/पद का नाम	न्यूनतम् आयु सीमा	अधिकतम् आयु सीमा	न्यूनतम् शैक्षणिक/तकनीकी अर्हताएं	चयन समिति
4.	डाटा एण्ट्री ऑपरेटर	–तदैव–	–तदैव–	(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण एवं मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा। अथवा किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से हायर सेकेण्डरी (10+2) उत्तीर्ण एवं छत्तीसगढ़ राज्य की मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्था से Modern Office Management (MOM) डिप्लोमा। (2) छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन मुद्रलेखन कम्प्यूटर कौशल परीक्षा परिषद से (कम्प्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से) हिन्दी एवं अंग्रेजी मुद्रलेखन गति 8,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति का प्रमाण पत्र।	(1) **अध्यक्ष –** सहायक पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक/सेनानी (2) **सदस्य–** अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक/उप सेनानी एवं उप पुलिस अधीक्षक/सहायक सेनानी स्तर के 03 अधिकारी (पुलिस मुख्यालय स्तर पर संबंधित अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक तथा जिला/इकाई संवर्ग के लिए उनके नियंत्रणकर्ता अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/रेंज पुलिस महानिरीक्षक द्वारा नामांकित)
5.	सहायक ग्रंथपाल	–तदैव–	–तदैव–	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक उपाधि प्राप्त तथा कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा/डिग्री	(1) **अध्यक्ष–** सहायक पुलिस महानिरीक्षक /पुलिस अधीक्षक/सेनानी (2) **सदस्य–** अति. पुलिस अधीक्षक/उप सेनानी अथवा उप पुलिस अधीक्षक/ सहायक सेनानी स्तर के 03 अधिकारी (पुलिस मुख्यालय स्तर पर संबंधित अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक तथा जिला/इकाई संवर्ग के लिए उनके नियंत्रणकर्ता अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/रेंज पुलिस महानिरीक्षक द्वारा नामांकित)

अनुसूची—चार

(नियम 6 एवं 17 देखिये)

स.क्र.	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी हो	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी हो	पद के लिये पात्रता हेतु न्यूनतम् अर्हकारी सेवावधि	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य का नाम
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	उप निरीक्षक—अ (शीघ्रलेखक)	निरीक्षक—अ (शीघ्रलेखक)	8 वर्ष	(1) **अध्यक्ष**— पुलिस महानिरीक्षक (2) **सदस्य**— (दो) पुलिस उप महानिरीक्षक (3) **सदस्य**— (एक) सहायक पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस अधीक्षक / सेनानी **(पुलिस महानिदेशक व्दारा नामांकित)**
2.	उपनिरीक्षक(अ)	निरीक्षक(अ)	5 वर्ष	—तदैव—
3.	सहायक उपनिरीक्षक (अ)	उपनिरीक्षक(अ)	8 वर्ष	(1) **अध्यक्ष**— उप पुलिस महानिरीक्षक (2) **सदस्य**— (तीन) सहायक पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस अधीक्षक / सेनानी **(पुलिस महानिदेशक व्दारा नामांकित)**
4.	प्रधान आरक्षक(अ)	सहायक उपनिरीक्षक(अ)	5 वर्ष	(1) **अध्यक्ष**— पुलिस अधीक्षक / सेनानी / सहायक पुलिस महानिरीक्षक (2) **सदस्य**— अति. पुलिस अधीक्षक अथवा उप पुलिस अधीक्षक स्तर के तीन अधिकारी (पुलिस मुख्यालय के लिये पुलिस महानिदेशक एवं जिला / इकाईयों के लिये रेंज पुलिस महानिरीक्षक व्दारा नामांकित)
5.	आरक्षक (अ)	प्रधान आरक्षक(अ)	8 वर्ष	—तदैव—
6.	सहायक ग्रंथपाल	ग्रंथपाल	8 वर्ष	(1) अध्यक्ष— उप पुलिस महानिरीक्षक (2) सदस्य— (तीन) सहायक पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस अधीक्षक / सेनानी **(पुलिस महानिदेशक व्दारा नामांकित)**
7.	डाटा एण्ट्री ऑपरेटर	सहायक प्रोग्रामर (निरीक्षक—अ)	8 वर्ष	(1) अध्यक्ष— पुलिस महानिरीक्षक (2) सदस्य— (दो) पुलिस उप महानिरीक्षक (3) सदस्य— (एक) सहायक पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस अधीक्षक / सेनानी **(पुलिस महानिदेशक व्दारा नामांकित)**

* पुलिस मुख्यालय सामान्य शाखा संवर्ग, पुलिस मुख्यालय अपराध अनुसंधान शाखा संवर्ग एवं पुलिस मुख्यालय गुप्तवार्ता शाखा संवर्ग के कर्मचारियों की पदोन्नति की कार्यवाही संबंधित संवर्गों के स्थापना शाखा व्दारा की जाएगी ।

** जिला / इकाई संवर्ग के आरक्षक—अ से प्रधान आरक्षक—अ एवं प्रधान आरक्षक—अ से सहायक उप निरीक्षक—अ के पद पर पदोन्नति की कार्यवाही संबंधित जिला / इकाई व्दारा की जाएगी तथा जिला / इकाई संवर्ग के सहायक उपनिरीक्षक—अ से उप निरीक्षक—अ एवं उप निरीक्षक—अ से निरीक्षक—अ के पद पर पदोन्नति की कार्यवाही सामान्य शाखा, पुलिस मुख्यालय द्वारा संपादित की जाएगी।

अनुसूची – पांच
(नियम–16, 17 एवं 18 देखिये)

स.क्र.	पद	पात्रता के मापदण्ड	सेवा–अभिलेख का मापदण्ड/वार्षिक गोपनीय चरित्रावली का मूल्यांकन	प्रक्रिया	पदोन्नति – पूर्व – प्रशिक्षण एवं पदोन्नति – बाद – प्रशिक्षण	योग्यता सूची जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी
1	2	3	4	5	6	7
1	निरीक्षक–अ (शीघ्रलेखक), निरीक्षक–अ, उप निरीक्षक–अ, ग्रंथपाल, सहायक प्रोग्रामर (निरीक्षक–अ) एवं प्रधान आरक्षक–अ	1. पदोन्नति प्रक्रिया राज्य स्तरीय होगी। 2. संबंधित वर्ष, जिस वर्ष पदोन्नति दी जाना है उस वर्ष की एक जनवरी को सीधी भर्ती के पद पर न्यूनतम 08 वर्ष का सेवाकाल तथा पदोन्नत पद पर न्यूनतम 05 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण हो। 3. सीधी भर्ती के पद पर नियुक्त कर्मी 'बुनियादी प्रशिक्षण' उत्तीर्ण हो। 4. धारित पद पर स्थाईकरण हो गया हो। 5. वरिष्ठता के आधार पर विचारण क्षेत्र में आने वाले अधिकारी/कर्मचारी की मूल्यांकन चार्ट एवं निर्धारित प्रारूप में सेवा–विवरण प्रस्तुत करने की संपूर्ण जवाबदारी इकाई/कार्यालय प्रमुख की होगी।	1. विगत 05 वर्षो में कोई बडी सजा नही मिली हो। 2. विगत 05 वर्षो में छोटी सजाओं से ईनाम की संख्या अधिक हो। 3. विगत 05 वर्षो में प्राप्त वार्षिक टीप/वार्षिक गोपनीय चरित्रावली के आधार पर संबंधित की पदोन्नति के संबंध में पात्र/अपात्र का निर्धारण किया जायेगा।	1. पदोन्नति के पद पर पदोन्नति प्रक्रिया हेतु सेवा–अभिलेखों के परीक्षण/मूल्यांकन, रिकार्ड एवं मास्टर चार्ट परीक्षणोपरांत प्रवर्गवार एवं संयुक्त वरीयता क्रम सूची तैयार करने के लिए इकाई/कार्यालय प्रमुख की अध्यक्षता में दो राजपत्रित अधिकारी एवं स्टेनो शाखा, स्थापना शाखा, आंकिक शाखा अथवा कार्यालय अधीक्षक, प्रभारी अधिकारी/कर्मचारियों की छानबीन समिति का गठन किया जायेगा। 2. इकाई/कार्यालय से पात्र अधिकारी/कर्मचारी के सेवा विवरण का परीक्षण कर और प्रस्तुत करने हेतु। अनूसूची–चार अनुसार गठित विभागीय पदोन्नति समिति प्राप्त सेवा विवरण एवं मास्टर चार्ट का परीक्षण कर प्रवर्गवार एंव संयुक्त वरीयता क्रम में चयन सूची अनुमोदन हेतु संबंधित अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन/गुप्तवार्ता/अ.अ.वि.) तथा प्रधान आरक्षक–अ संवर्ग के लिए उनके नियंत्रणकर्ता अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक/उप पुलिस महानिरीक्षक को प्रस्तुत करेगी।	चयनित/पात्र अधिकारी/कर्मचारियों का 07 दिवस पदोन्नति–पश्चात् –प्रशिक्षण, प्रशिक्षण संस्था में चलाया जायेगा।	अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन/गुप्तावार्ता/अ.अ.वि.)

स.क्र.	पद	पात्रता के मापदण्ड	सेवा–अभिलेख का मापदण्ड/वार्षिक गोपनीय चरित्रावली का मूल्यांकन	प्रक्रिया	पदोन्नति – पूर्व – प्रशिक्षण एवं पदोन्नति – बाद – प्रशिक्षण	योग्यता सूची जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी
1	2	3	4	5	6	7
2	सहायक उप निरीक्षक–अ	उपरोक्तानुसार नोटः– अनुसूची–तीन के कॉलम–5 में सहायक उप निरीक्षक – अ के पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित अर्हता पूर्ण करने वाले प्रधान आरक्षक–अ के नाम पर ही विचार किया जायेगा।	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार	संबंधित जिला/इकाई के नियंत्रणकर्ता अधिकारी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक /पुलिस उप महानिरीक्षक

टिप्पणी– विगत 05 वर्षों में प्राप्त वार्षिक टीप/वार्षिक गोपनीय चरित्रावली के आधार पर, संबंधित की पदोन्नति के संबंध में पात्रता/अपात्रता का निर्धारण निम्नानुसार होगा –

01. विगत 5 वर्षों में, कम–से–कम तीन अच्छे(ख) वर्गीकरण मिले हो तथा पिछले 2 वर्ष में प्रतिकूल टीप अथवा एक से अधिक सामान्य स्तर (ग) वर्गीकरण न मिला हो।
02. विगत 2 वर्ष में, यदि (ग) श्रेणी अथवा प्रतिकूल टीप दी गई हो, तो विभागीय पदोन्नति समिति ऐसी टीप का पुर्नमूल्यांकन करेगी तथा पुर्नमूल्यांकन के लिए संबंधित कर्मचारी के सेवा–अभिलेख एंव पुरस्कार–सजा को ध्यान मे रखेगी। विभागीय पदोन्नति समिति, लिखित में कारण बताते हुए वर्गीकरण को परिवर्तित कर सकती है तथा प्रतिकूल टीप के संबंध में, यह राय व्यक्त कर सकती है कि उसे सेवा–अभिलेख के आधार पर पदोन्नति के लिए प्रतिकूल नहीं माना जाये।
03. यदि बीच के किसी वर्ष की वार्षिक टीप/वार्षिक गोपनीय चरित्रावली उपलब्ध नहीं हो सकती है, तो उस वर्ष और पश्चात् की रिपोर्ट (एक–दो) के अनुसार माना जावे या उसके आधार पर औसत 'एवरेज' निकाला जावे। यदि अंतिम वर्ष की रिपोर्ट उपलब्ध नहीं हो रही हो, तो पिछले 5 वर्षो की रिपोर्टों के औसत 'एवरेज' के अनुसार मूल्यांकन किया जाना चाहिए, जिससे बैलेंस में लाभ, कर्मी को मिले। जैसे 'क' की दशा में, यदि पिछले और पश्चात् वाले वर्षों में एक वर्ष की रिपोर्ट 'क' है और दूसरे वर्ष की 'ख' तो अनुपलब्ध रिपोर्ट 'क' मानी जाये। यदि पिछले 5 वर्षों के आधार पर मूल्यांकन करना है, तो 5 में से 3 वर्षों में जिस श्रेणी की रिपोर्ट मिली हो, उस श्रेणी की रिपोर्ट विचाराधीन वर्ष भी मानी जाये।
04. विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा किसी भी कर्मी की पदोन्नति केवल इस आधार पर न रोकी जाये कि उसकी गोपनीय चरित्रावली उपलब्ध नहीं है, जब तक यह प्रमाणित न हो कि गोपनीय चरित्रावली की अनुपलब्धता का दायित्व उस कर्मी का है।

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2026